

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
सोमवार, 14 अक्टूबर, 1996 / अश्विन 22, 1918 शक ॥

संख्या : 291

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस,
नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से दिनांक : 28.9.96 को निम्नलिखित सूचना
दिनांक : 8.10.96 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय
राजधानी राज्यक्षेत्र को विधान सभा के माननीय सदस्य
श्री हारून युसुफ को उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात्
दिनांक : 28.9.96 को पूर्वाह्न 11.44 बजे, संसद मार्ग,
विंडसर प्लेस, जनपथ से पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की
अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा
65 के अन्तर्गत नज़रबंद किया गया।"

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक : 28.9.96 को अपराह्न
12.05 बजे पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा
कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART- II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, October 14, 1996/ Ashvina 22, 1918 (Saka)

No.291

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER.

The following message dated 29.9.96 addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi on 8.10.96 :-

"I have the honour to inform you that Shri Haroon Yusuf, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street at Windsor Place, Janpath at 11.44 hours today i.e. 28.9.96.

He was released at 1205 hours from Police Station Parliament Street, New Delhi the same day ie. 28.9.96."

P.N. GUPTA
SECRETARY